न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 28/2019

शीर्षक

कोयली देवी पत्नी नारायण जाट निवासी नयाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. दूलीचन्द पुत्र रूपाराम जाट निवासी नयाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 23/10/2019

दावा वादीया संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 206/0.30 है0 कुल किता 01 रकबा 0.30 है0 भूमि वाके ग्राम नयाबास तह. शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित थी। जिसमें वादीया का हिस्सा 11/30 दर्ज हाल खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में उत्तरी हिस्सा पूर्व पश्चिम लम्बाई सम्पूर्ण जरिए विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2018 को प्रतिवादी सं. 1 से खरीद किया था तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर सहखातेदार काबिज काश्त है।

वादीया ने आराजी मुतनाजा का उत्तरी दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बाई में हिस्सा 11/30 खरीद किया था। जिसका आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 आराजी मुतनाजा के खरीदशुदा उत्तरी हिस्से को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचकर उसके पक्ष में अन्तरण डीड तिवादी सं. 3 के कार्यालय में पंजीबद्ध कराने तथा आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने में मादा है, दिनांक 15.06.2019 को वादीया आराजी मुतनाजा की सार सम्भाल कर रही थी तब प्रतिवादी राजी मुतनाजा के खरीदशुदा भू–भाग की नाम जोख करने लगे तब वादीया द्वारा मना करने पर ज्ञानियां धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही मुतनाजा के खरीदशुदा –भाग को अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व कार्ड में परिवर्तन करवायेगा।

अन्त में निवेदन किया कि आ.ख.नं. 206/0.30 है0 भूमि वाके ग्राम नयाबास तह. शाहपुरा जिला यपुर के वादीया व प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकार्ड में खरीदशुदा भूमि आराजी मुतनाजा का उत्तरी ा ख.नं. 208 के लगता हुआ पूर्व पश्चिम लम्बाई में विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2018 में वर्णितानुसार से का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द या जावे कि वादपत्र के जिमन नम्बर 01 में वर्णित खरीदशुदा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2018 वादीया के हिस्स में किसी प्रकार की बेजामदाखलत पैदा नहीं करे।

ा वादीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी की से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तावादीया द्वारा प्रा0पत्र आदेश–6 नियम–17 सीपीसी पेश किया। स्वीकार किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षों की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने राजीनामा अनुसार प्रकरण को ारित करने की इस्तदुआ की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। त प्रकरण में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।

दावा वादीया व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार आ.ख.नं. 206/0.30 है0 में से वादीया का ा पूर्व पश्चिम लम्बाई में 0.11 है0 भूमि सलंग्न नक्शे में बरंग लाल हिस्से में रहेगी व प्रतिवादी सं. ा हिस्सा 19/30 रकबा 0.19 है0 बरंग पीला हिस्से में रहेगा। शेष इन्द्राज यथावत राजीनामा व ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीया व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता वे राजीनामानुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। पर्चा जारी हो।

िर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । ी फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 28/2019

शीर्षक

कोयली देवी पत्नी नारायण जाट निवासी नयाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. दूलीचन्द पुत्र रूपाराम जाट निवासी नयाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 23-10-2019

अतः दावा वादीया व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार आ.ख.नं. 206/0.30 है0 में से वादीया का हिस्सा पूर्व पश्चिम लम्बाई में 0.11 है0 भूमि सलंग्न नक्शें में बरंग लाल हिस्से में रहेगी व प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 19/30 रकबा 0.19 है0 बरंग पीला हिस्से में रहेगा। शेष इन्द्राज यथावत राजीनामा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीया व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजीनामानुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	